न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

मुकदमा नं0 07/2017 नामांतरकरण अपील

1. नाथ्या उर्फ नाथूलाल पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रूगनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी तलावड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रूगनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम तलावड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 896 एवं आदेश दिनांक 26.2.2013 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा वाके ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा जिला दौसा।

उपस्थिति–1. श्री योगेश जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री सेडूराम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1
3. श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 01.10.2019

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा की स्थित आराजी खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 998 रकबा 1.64 है0, खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.03 है0 की खातेदार मूली पत्नि बालू थी जो कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं01 के पिता छीतर के भाई की पत्नि थी। जो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 की पूर्वज थी। उक्त मूली बेवा बालू के वारिसान के तौर पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 थे किन्तु मूली की मृत्यु के बाद एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने दिनांक 26.2.2013 को उक्त भूमि का अकेले अपने नाम नामांतरकरण सं0 896 खुलवा लिया। उक्त नामांतरकरण सं0 896 दिनांक 26.2.2013 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

मुकदमा नं0 07/2017 नामांतरकरण अपील

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार दौसा द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 896 दिनांक 26.2.2013 वसीयत दिनांक 1.3.97 के आधार पर खोला गया है। तहसीलदार दौसा ने वसीयत प्रस्तुत होने के बाद वसीयत की वैधता की जांच नहीं की और न ही किसी प्रकार साक्ष्य का अवसर दिया। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत को साबित करने हेतु वसीयत के गवाहान को न्यायालय में परीक्षित कराया जाना आवश्यक होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए राजस्व कैम्प में प्रश्नगत नामांतरकरण खोला गया है जो कानूनन निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामांतरकरण खोले जाने से पूर्व मृतक मूली के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने किसी सक्षम सिविल न्यायालय से कथित वसीयत के अधिकारों की अभिघोषणा प्राप्त नहीं की है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार दौसा को कथित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। नामांतरकरण खोलने में तहसीलदार दौसा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की त्रुटि की है। अपीलांट का आराजी वादग्रस्त पर अपने हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। नामांतरकरण खोलते समय कब्जे की भी कोई जांच नहीं की गई है। कथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी है जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने मूली की सम्पत्ति को हड़पने की गरज से तैयार की है। जिस समय की वसीयत बताई गई है उस समय मूली बेवा बालू चलने फिरने व सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। उक्त कथित वसीयत के संबंध में तहसीलदार दौसा द्वारा न तो कोई नोटिस अपीलांट को दिया गया और न ही कोई नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जिससे अपीलांट को उक्त वसीयत की कोई जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी सम्पूर्ण अपने नाम होने की धमकी देने व अपीलांट को आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय में मालूम करने व उक्त नामांतरकरण की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 22.2.2017 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा कथित फर्जी वसीयत के आधार पर खोला गया नामांतरकरण सं0 896 दिनांक 26.2.2013 को निरस्त करने एवं मृतक मूली बेवा बालू की विरासत का नामांतरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हक में खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2014(1)*RRT* 196 श्रीमती पार्वती बनाम दयाराम व अन्य तथा 2014(1)*RRT*196 गंगू बनाम मांग्या व अन्य प्रस्तुत किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामांरतरण में वर्णित प्रश्नगत आराजी भूमि बालू की खातेदारी भूमि थी जिसके फौत हो जाने पर भूमि उसकी पत्नि के नाम खातेदारी में दर्ज की गई। छीतर बालू का भाई था तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं01 छीतर के पुत्र हैं। बालू मोती का पुत्र है एवं छीतर छोटू का पुत्र है एवं प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी भूमि है। रामस्वरूप रूगनाथ के यहां गोद नहीं गया। अपीलांट ने रामस्वरूप दत्तक पुत्र रूगनाथ गलत लिखा है। अपीलाधीन नामांतरकरण रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 1.3.97 के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हक में खोला गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

मुकदमा नं0 07/2017 नामांतरकरण अपील

राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 896 दिनांक 26.2.2013 को स्वीकार किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 06.3.2017 को पेश की गई है। लगभग तीन वर्ष पश्चात विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का उचित कारण व्यक्त नहीं किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथमदृष्टया प्रकरण में अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 896 दिनांक 26.2.2013 रेस्पोडेन्ट नं01 के हक में वसीयत दिनांक 1.3.97 के आधार पर तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया है। उक्त वसीयत को अपीलांट द्वारा चुनौती देते हुए नामांतरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। वसीयत की सत्यता एवं प्रमाणिकता के संबंध में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण सं0 896 दिनांक 26.2.2013 ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official